पाँच प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग

चर्चा में क्यों?

बिहार राज्य कृषि विभाग, भागलपुर स्थित **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (Bihar Agricultural University- BAU)** के साथ मिलकर कम-से-कम 54 अलग-अलग क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के लिये भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) प्रमाणन प्राप्त करने के लिये काम कर रहा है

- इस सहयोगात्मक प्रयास के तहत **पाँच प्रमुख विषयों** पर अनुसंधान पहले ही उन्नत चरणों में है।

प्रमुख बिंदु:

- पाँच उन्नत चरण के उत्पाद हैं- **लिट्टी चोखा (बिहार का मुख्य व्यंजन), रोहतास से सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना से सिंघाड़ा तथा दीघा से मालदा आम।**
- सबसे अधिक **भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल हैं।**
  - बिहार में **छह GI-टैग उत्पाद हैं - शाही लीची, भागलपुरी जरदालू आम, कतरनी चावल, मारीचा चावल, मगही पान (पान का पत्ता) और मखाना (फॉक्सनट)।**
- केंद्र सरकार का वाणिज्य मंत्रालय विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत की प्रतिबद्धताओं और TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) समझौते के तहत भौगोलिक संकेत (GI) टैग के लिये अभियान का समर्थन कर रहा है।

भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) टैग

- GI टैग एक **नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों** पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि **केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग** ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति रखते हैं।
  - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल किये जाने से भी बचाता है।
- पंजीकृत **GI 10 वर्षों के लिये वैध होता है।**
- GI पंजीकरण की देख-रेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा की जाती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gi-tag-for-five-iconic-products